छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

—:: **आदेश** ::—

रायपुर दिनांक 9/08/2016

क्रमांक/11962/एफ–08/89/PMFBY/2016/14–2 :: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की **''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''** के कियान्वयन से संबद्ध सभी विभागों के मध्य विभागाध्यक्ष स्तर पर आवश्यक समन्वय स्थापित कर योजना के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत योजना कियान्वयन, निगरानी, अनुश्रवण, प्रचार–प्रसार हेतु एद्त द्वारा संचालक कृषि, छ.ग. की अध्यक्षता में निम्नानुसार **''राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति {State Level Monitoring Committee (SLMC)}''** का गठन किया जाता है:–

1	संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर	अध्यक्ष
2	आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर के नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर संचालक वित्त संचालनालय कृषि	सदस्य
5	महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक रायपुर	सदस्य
6	महा निदेशक छ.ग. कौन्सिल ऑफ सांइस ऑफ टेक्नॉलाजी के नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र लालपुर, रायपुर के नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, इ.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	सदस्य
9	तकनीकी निदेशक NIC	सदस्य
10	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, रायपुर	सदस्य
11	महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर	सदस्य
12	नाबार्ड के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	सदस्य
13	क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंशयोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. रायपुर	सदस्य
14	राज्य प्रबंधक, ईफको टोक्यो, जनरल इंश्योरेन्श कंपनी लिमि. रायपुर	सदस्य
15	राज्य प्रबंधक, रिलायन्स जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमि. रायपुर	सदस्य
16	पॉच नामांकित कृषक प्रतिनिधि *	सदस्य
17	संयुक्त संचालक कृषि एवं नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर	सदस्य सचिव

*कृषक प्रतिनिधियों के नामांकन हेतु आदेश राज्य शासन स्तर से पृथक से जारी किया जायेगा।

राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का मुख्य कार्य एवं जवाबदेही निम्नानुसार होगी :–

1. उक्त कमेटी SLCCCI के सहायक के रुप में कार्य करेगी।
2. नियमित बैठक आयोजित कर योजना क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी।
3. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक कृषको को इस योजना में शामिल करने हेतु सघन प्रचार–प्रसार के माध्यम से कृषकों को जागृत करेंगे।
4. योजना की पाक्षिक प्रतिवेदन/स्थिति राज्य शासन को उपलब्ध कराएगी।
5. फसल एवं मौसम की स्थिति तथा ऋण वितरण का पाक्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराएगी जिसके आधार पर नियुक्त बीमा कंपनियों के साथ चर्चा किया जावेगा।
6. SLCCCI को प्रमुख रूप से दिशा–निर्देश/जानकारी उपलब्ध कराएगी जिसमें प्राकृतिक व स्थानीय आपदाओं तथा फसल कटाई पश्चात् होने वाले क्षति पर निर्णय लिया जा सकेगा।
7. समिति नियमित रूप से बीमा योजना अंतर्गत जुड़े हुए प्रमुख बैंकों/वित्तीय संस्था की रिपोर्ट/रिकार्ड का निरीक्षण व सत्यापन करेगी।
8. जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति को आवश्यक मार्ग–दर्शन एवं समन्वय स्थापित करेगी।
9. Seasonality Discipline के अनुसार तय समय–सीमा में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगी।

क्रमशः ...2...

यह समिति उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में उल्लेखित अन्य कार्य तथा शासन स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी. पैकरा) 8/16
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र/ 11963 /एफ–08/89/PMFBY/16–17/14–2 नया रायपुर, दिनांक 9/08/2016
प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, मछली पालन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग नया रायपुर।
3. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन।
5. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
7. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
8. सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग।
9. सचिव, छ.ग. शासन कृषि विभाग।
10. आयुक्त सह संचालक, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर।
11. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर,
12. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर
13. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, छ.ग. रायपुर
14. महानिदेशक, छ.ग. कॉन्सील ऑफ साईंस एण्ड टेक्नॉलॉजी रायपुर।
15. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर।
16. निदेशक विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर।
17. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स बैंक) रायपुर।
18. निदेशक मौसम विज्ञान केन्द्र रायपुर।
19. विभागाध्यक्ष, मौसम विज्ञान विभाग, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर।
20. निदेशक, छ० मंत्रालय रायपुर।
21. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंशयोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. रायपुर
22. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय पिथालिया कॉम्प्लेक्स फाफाडीह चौक रायपुर।
23. सूची बद्ध फसल बीमा के प्रतिनिधि ....।

9/8/16
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

O/C

D:\PMFBY\Letter.doc